राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010
फोन (0744)–.2473003 फेक्स (0744)–2473033

क्र0: एफ(2) / बोम–38(विशेष) / 2021 / 1513 दिनांकः– 24/6/2021

समस्त माननीय सदस्यगण
प्रबंध मण्डल
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 38वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण प्रेषित करने हेतु

महोदय,

दिनांक 24.06.2021 को आयोजित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 38वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी कर आपको प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

24/6/21

कुलसचिव एंव
सचिव, प्रबन्ध मण्डल

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	38वीं (विशेष) बैठक
स्थान	**Online Video Confrance Mode**
दिनांक	24 जून 2021 (गुरूवार)
समय	दोपहर : 12.30 बजे

दिनांक 24.06.2021 को दोपहर 12.30 बजे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की 38वीं प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक का आयोजन प्रो. आर.ए. गुप्ता, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में ऑन लाईन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से किया गया। बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे :—

1. श्री पाना चंद मेघवाल
2. श्री के.सी. मीणा, (नोमिनी, सचिव, वित्त विभाग)
3. श्री मनीष गुप्ता एवं श्री एम. ए. पठान (नोमिनी, सचिव महोदय, त.शि.)
4. श्री संत कुमार चौधरी
5. श्री रवि जूनिवाल
6. श्री पी.सी.मकवाना
7. प्रो. अनिल के0 माथुर
8. प्रो. बी.पी.सुनेजा
9. प्रो. विवेक पांडे
10. श्री सी.डी. प्रसाद
11. प्रो. आर.एस. मीणा
12. प्रो. संदीप पाराशर
13. डॉ. मनीष चतुर्वेदी
14. श्री नरेश कुमार मालव
15. श्री ए.ए.हनफी
16. डॉ. रमेश कुमार पचार
17. डॉ. रवि गुप्ता
18. श्री लोकेश मीना, लेखाधिकारी, आरटीयू विशेष आमंत्रिती
19. श्री प्रकुल खुराना, एडवोकेट (आयकर संबंधी) विशेष आमंत्रिती
20. श्रीमती दक्षयानी पाण्डे, सीए (आयकर संबंधी) विशेष आमंत्रिती

श्री राम नारायण मीणा, विधायक महोदय प्रशासनिक कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तदउपरान्त बैठक का शुभारम्भ किया गया।

प्र. म. 38.1 (विशेष) **तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित ऑटोनॉमस अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का संघटक महाविद्यालय बनाने से संबंधित बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 313.00.0 पर चर्चा कर निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करवाना।**

राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प.1 (2) त.शि./2021 जयपुर दिनांक 15 अप्रेल 2021 (पत्र संलग्न) के द्वारा बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 313.00.0 पर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को विश्वविद्यायलों का संघटक महाविद्यालय बनाये जाने के संबंध में निम्नानुसार घोषणा की गई है –"राज्य के ऑटोनॉमस अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता बनाये रखने के दृष्टि से भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारां एवं भीलवाडा इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा तथा अजमेर, बीकानेर व महिला अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज को तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का बांसवाडा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज को गोविंद गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा का एवं बाड़मेर इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रस्तावित एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर का संघटक महाविद्यालय बनाते हुए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध सुनिश्चित किया जावेगा।"

इसी क्रम में राज्य के भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारां एवं भीलवाडा के ऑटोनॉमस अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का संघटक महाविद्यालय बनाने हेतु बजट घोषणा की गई है।

उक्त बजट घोषणा 2021–22 के बिन्दु संख्या 313.00.0 के क्रम में उक्त महाविद्यालयों को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संघटक महाविद्यालय बनाने हेतु सहमति के क्रम में निर्णयार्थ माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प **प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।**

(नोट : प्रबंध मण्डल के सदस्य डा. मनीष चतुर्वेदी द्वारा बैठक के दौरान उक्त प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त करते हुऐ असहमति पत्र देने की बात की गयी। डा. चतुर्वेदी का असहमति पत्र संलग्न हैं।)

प्र. म. (वि)(टी)38.1 **24वीं विशेष वित्त समिति बैठक दिनांक 21.6.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**

24वीं वित्त समिति की विशेष बैठक दिनांक 21.6.2021 को दोपहर 12.00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में ऑन लाईन आहूत की गई थी, के कार्यवाही विवरण अनुमोदन करने हेतु प्रस्तुत है।

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प

दिनांक 21.6.2021 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की विशेष बैठक के बिन्दु संख्या 24.1 पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया, जो इस प्रकार है–

बैठक में विश्वविद्यालय के लीगल काउन्सेल, मैसर्स चीर अमृत लीगल एल.एल.पी. जयपुर से श्री प्रकुल खुराना एवं मैसर्स एस.डी. पाण्डेय कम्पनी, सनदी लेखाकार से श्रीमति दक्षयानी पाण्डेय (आयकर मामलों के विशेषज्ञ) विशेष आमंत्रिती के रूप में उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्रबंध मण्डल को यह अवगत कराया कि कर निर्धारण वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिये आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये डिमाण्ड नोटिसेज के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे आर्डर दिये हुये हैं तथा सी. आई.टी. (अपील) के समक्ष अपील भी दायर की गई है परन्तु आयकर नियम 2बीबीबी के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय का कानूनी पक्ष काफी कमजोर है इसलिये विश्वविद्यालय हित में उक्त दोनों कर निर्धारण वर्षो के लिये "विवाद से विश्वास स्कीम" का चयन करने की सलाह दी गई है ताकि विश्वविद्यालय इस एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत ब्याज राशि से छूट प्राप्त करते हुये आयकर डिमाण्ड का निपटान कर सके, जिसकी अंतिम तिथि 30.06.2021 है। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा विवाद से विश्वास स्कीम का चयन पूर्व में किया जा चुका है और यदि विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम तिथि से पूर्व उक्त स्कीम के अंतर्गत आयकर राशि जमा नहीं करायी जाती है, तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयकर राशि ओर जमा करानी होगी, जिसकी अभी कोई कट–ऑफ डेट आयकर विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि विश्वविद्यालय इस स्कीम का लाभ नहीं लेता है तथा माननीय उच्च न्यायालय तथा सीआईटी (अपील) के समक्ष याचिका/अपील को चालू रखता है और ऐसी स्थिति में सीआईटी (अपील) का निर्णय यदि विश्वविद्यालय के खिलाफ आ जाता है (जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा है) तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिमाण्ड नोटिस के विरूद्व जारी स्टे–आर्डरस् स्वतः ही रद्द हो जायेंगे और ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को मूल आयकर राशि के साथ–साथ अपील निर्धारित होने की तिथि तक का ब्याज अतिरिक्त वहन करना पडेगा, जो कि मूल राशि से भी अधिक हो जायेगा। अंत में विश्वविद्यालय के लीगल कांउसेल एवं सनदी लेखाकार द्वारा उक्त दोनों कर निर्धारण वर्षों के लिए "विवाद से विश्वास स्कीम" के अंतर्गत बकाया आयकर राशि जमा कराने की सलाह दी गई।

बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों के द्वारा भी बैठक में उपस्थित विश्वविद्यालय के लीगल काउन्सेल एवं सनदी लेखाकार (आयकर मामलों के विशेषज्ञ) द्वारा आयकर नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार विमर्श करने के उपरान्त विश्वविद्यालय हित में आयकर विभाग की एमनेस्टी स्कीम

का लाभ प्राप्त करते हुए बकाया आयकर डिमाण्ड को दिनांक 30 जून 2021 तक जमा करवाने की सलाह दी गई।

अंत में विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरांत प्रबंध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय पारित किये गए–

- विश्वविद्यालय के लीगल काउन्सेल एवं सनदी लेखाकार (आयकर मामलों के विशेषज्ञ) की राय के अनुसार "विवाद से विश्वास स्कीम" के अंतर्गत उक्त दोनों कर निर्धारण वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लिये बकाया आयकर डिमाण्ड राशि रू. 24,89,04,564 का अंतिम तिथि 30.06.2021 तक भुगतान कर दिया जावे।
- साथ ही, यदि "विवाद से विश्वास स्कीम" के अंतर्गत आयकर जमा कराने की अंतिम तिथि (30.06.2021) में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में दिनांक 30.06.2021 तक आयकर डिमाण्ड राशि अभी जमा नहीं करायी जावे तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली से आयकर से छूट/कर मुक्ति प्राप्त करने के प्रयास किये जावें और यदि दिनांक 28.06.2021 तक "विवाद से विश्वास स्कीम" की अंतिम तिथि में वृद्धि नहीं होती है, तो इस योजना के अंतर्गत बकाया आयकर डिमाण्ड पूर्वोक्त निर्णयानुसार जमा करवा दी जावे।

बिन्दु संख्या 24.2 के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये कि अनुसंधान / रिसर्च हेतु संकाय संदस्यों को विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई सीड मनी का पुर्नभरण संबंधित संस्थान से प्रोजेक्ट ग्रांण्ट प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय को किया जावेगा।

बिन्दु संख्या 24.4 के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये कि बाहरी विशेषज्ञों को मानदेय राशि रूपये 5000/– के अतिरिक्त टीए/डीए का भुगतान राज्य सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार किया जावेगा।

वित्त समिति के शेष बिन्दुओं के समक्ष लिये गये निर्णयों को प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।

बैठक का समापन प्रबंध मण्डल के सदस्य सचिव द्वारा सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त किया गया ।

24.06.2021

(प्रो. आर.ए. गुप्ता)
कुलपति एवं अध्यक्ष
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

24/6/21

(नरेश कुमार मालव)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,
कोटा

Note of Dissent on the resolution passed in the special BOM meeting of RTU held on 24.6.2021

From: Manish Chaturvedi (mchaturvedi@rtu.ac.in)

To: registrar_rtu@yahoo.co.in; registrar@rtu.ac.in

Date: Thursday, 24 June, 2021, 03:25 pm IST

Note of Dissent on the resolution passed in the special BOM meeting of RTU held on 24.6.2021

I do not agree to the resolution passed in BOM meeting held on 24.6.2020 in the Matter pertaining to approval of making 6 Autonomous Colleges as the constituent college of RTU due to following reasons:

1. That the resolution of approval of making these 6 AUTONOMOUS COLLEGES as the Constituent Colleges of RTU is contrary to the spirit of NEP 2020.

2. That this will result in huge financial burden on RTU when the present situation is:

i. University is already facing a financial crunch and has had a deficit budget for the last three years.

ii. That university has to pay pension to its own employees from its own resources and the Government has given NOC for pension only on the condition that it will not bear any financial burden of pension. The proposal of making these 6 colleges as the constituent college of University will adversely impact the sustenance of the payment of pension to its own teaching and non-teaching employees.

3. That such a resolution will be detrimental to the future growth of University and in getting 12B UGC status and NAAC Accreditation when at present university has to fill the vacant position of Faculty (more than 40 % post are vacant) and staff (More that 60 % post are vacant) and thus will hamper the growth and very existence of RTU.

You are requested to put this dissenting note on record in the proceeding BOM meeting held today.

Thanks

Manish Chaturvedi
Member BOM (Elected Teacher Representative)

To,
Member Secretary, BOM (RTU)